



संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पाली टेक्निक)

INFORMATION BROCHURE

2020

परीक्षा तिथि : 26 एवं 27 अप्रैल, 2020

ग्रुप-A (ओ0एम0आर0 आधारित)	26.04.2020 (रविवार)	प्रातः पाली 9.00 से 12.00 तक
ग्रुप-E (ओ0एम0आर0 आधारित)	26.04.2020 (रविवार)	सायं पाली 2.30 से 5.30 तक
ग्रुप-B,C,D,F,G,H,I (कम्प्यूटर आधारित)	27.04.2020 (सोमवार)	प्रातः पाली 9.00 से 12.00 तक
ग्रुप-K1 to K8 (कम्प्यूटर आधारित)	27.04.2020 (सोमवार)	सायं पाली 2.30 से 5.30 तक

समय-सारिणी
संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2020
(परीक्षा तिथि 26 एवं 27 अप्रैल, 2020 प्रातः एवं सायं पालियाँ)

क्र०	प्रक्रिया	प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	प्रवेश परीक्षा-2020 के आनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति :		
	(i) प्रारम्भ	01.01.2020	16.03.2020
	(ii) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र में सुधार	17.03.2020	21.03.2020
	(iii) परीक्षा प्रवेश-पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध कराना	17.04.2020	
2.	परीक्षाओं का आयोजन/तिथियाँ :		
	ग्रुप-A (आफलाइन)	26 अप्रैल, 2020 (प्रातः 9:00 से 12:00 बजे तक)	
	ग्रुप-E (आफलाइन)	26 अप्रैल, 2020 (सायं 2:30 से 5:30 बजे तक)	
	ग्रुप-B,C,D,F,G,H,I (आनलाइन)	27 अप्रैल, 2020 (प्रातः 9:00 से 12:00 बजे तक)	
	ग्रुप-K1 to K8 (आनलाइन)	27 अप्रैल, 2020 (सायं 2:30 से 5:30 बजे तक)	
3.	परीक्षाफल से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण तिथियाँ :		
	(i) आनलाइन परीक्षाओं के प्रश्न, विकल्प तथा उत्तर कुंजी से सम्बन्धित आपत्तियाँ प्राप्त कर सुधार करना	04.05.2020	08.05.2020
	(ii) ऑफलाइन परीक्षाओं के प्रश्न, विकल्प तथा उत्तर कुंजी से सम्बन्धित आपत्तियाँ प्राप्त कर सुधार करना	14.05.2020	17.05.2020
	(iii) संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2020 के परीक्षाफल की घोषणा व नेट पर उपलब्ध कराना	21.05.2020	
4.	काउन्सिलिंग/आवंटन प्रक्रिया :		
	(i) तीन चरणों की आनलाइन काउन्सिलिंग (काउन्सिलिंग सम्बन्धी समस्त कार्य) (विस्तृत विवरण परिषद की वेबसाइट jeecup.nic.in पर 25.05.2020 से उपलब्ध रहेगा)	02.06.2020	08.07.2020
	(ii) संस्था स्तरीय ऑफलाइन काउन्सिलिंग (राजकीय व अनुदानित संस्थाओं में)	13.07.2020	14.07.2020
	(iii) प्रदेश स्तरीय ऑफलाइन काउन्सिलिंग संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद कार्यालय, लखनऊ में होगी। (आनलाइन काउन्सिलिंग के पश्चात राजकीय संस्थाओं की रिक्त सीटों हेतु)	17.07.2020	18.07.2020
	(iv) अनुदानित तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं में पोर्टल के माध्यम से सीधे प्रवेश हेतु तीन चरणों की काउन्सिलिंग।	17.07.2020	15.08.2020
5.	समस्त काउन्सिलिंग/प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश की अन्तिम तिथि :	15.08.2020	

नोट : उपरोक्त समस्त तिथियाँ प्रस्तावित हैं, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

विषय-सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	परीक्षा कार्यक्रम, आनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा शुल्क सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश	2-3
2.	प्रवेश वरीयता, प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम कोड, पाठ्यक्रमों की अवधि, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, प्रवेश परीक्षा के विषय एवं परीक्षा में प्रश्नों का प्रतिशत सम्बन्धी विवरण (सारिणी-1)	4-6
3.	आई0टी0आई0/समकक्ष उत्तीर्ण छात्रों के द्वितीय वर्ष (ग्रुप-K) में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश अर्हता (सारिणी-2)	6-8
4.	विकलांग एवं अक्षम अभ्यर्थियों हेतु सुविधाएं, प्रवेश वरीयता तथा सीटों के आरक्षण एवं आयु सम्बन्धी विवरण	9
5.	शिक्षण शुल्क एवं आवेदन प्रक्रिया	9-11
6.	आरक्षण सम्बन्धी विवरण	12
7.	अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी अति महत्वपूर्ण निर्देश	13-14
8.	प्रवेश परीक्षाफल, योग्यता सूची	15
9.	सीट आवंटन हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रिया	15-16
10.	आरक्षण प्रमाण पत्रों के प्रारूप	17-22
11.	ओ0एम0आर0 उत्तर चार्ट (अभ्यास हेतु)	23
12.	प्रदेश में संचालित पालीटेक्निक संस्थाओं की संख्या एवं ग्रुपवार कुल प्रवेश क्षमता	24

उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक) –2020

—: महत्वपूर्ण निर्देश :—

उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2020 हेतु आवेदन परिषद की वेबसाइट <https://jeecup.nic.in> पर आनलाइन किया जायेगा।

परीक्षा कार्यक्रम

पाठ्यक्रम गुप	परीक्षा दिवस एवं तिथि	परीक्षा समय एवं पाली
गुप-A (ओ0एम0आर0 आधारित)	26.04.2020 (रविवार)	प्रातः पाली 9.00 से 12.00 तक
गुप-E (ओ0एम0आर0 आधारित)	26.04.2020 (रविवार)	सायं पाली 2.30 से 5.30 तक
गुप-B,C,D,F,G,H,I (कम्प्यूटर आधारित)	27.04.2020 (सोमवार)	प्रातः पाली 9.00 से 12.00 तक
गुप-K1 to K8 (कम्प्यूटर आधारित)	27.04.2020 (सोमवार)	सायं पाली 2.30 से 5.30 तक

01. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु0 200.00 तथा सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रु0 300.00 आवेदन शुल्क निर्धारित है। विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र भरने का कोई प्राविधान नहीं है। आवेदन शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/ आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक की किसी भी शाखा में चालान अथवा नेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा किया जा सकता है।
02. वर्ष-2020 में अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, परन्तु चयनित होने की स्थिति में काउन्सिलिंग के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
03. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित "संयुक्त प्रवेश परीक्षा" में सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों एवं प्रतिबन्धों से आबद्ध होंगे, जो विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं या जिन्हें समय-समय पर परिषद या राज्य सरकार परिवर्तित करे या लागू करे।
04. इस विवरण-पुस्तिका में दिये गये विवरण अभ्यर्थियों के सूचनार्थ तथा निर्देशार्थ हैं। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये मान्य नहीं होगा। वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ में स्थित न्यायालय ही मान्य है। परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परिषद का निर्णय अन्तिम होगा तथा वे परिषद के नियम मानने हेतु बाध्य होंगे।
05. यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र में प्रस्तुत विवरण असत्य पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। अभ्यर्थी का चयन केवल इस वर्ष के लिये ही होगा। यदि अभ्यर्थी किन्हीं कारणोंवश (अघोषित परीक्षाफल, अपूर्ण परीक्षाफल, पूरक परीक्षा, अंकतालिका न मिलने, टी.सी. न मिलने, अन्य वांछित प्रमाण-पत्र न प्रस्तुत कर पाने आदि) प्रवेश हेतु

निर्धारित अन्तिम तिथि तक सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रवेश नहीं ले पाता है, तो उसका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा और इसका उत्तरदायित्व परिषद पर नहीं होगा तथा उसे अगले वर्ष प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

06. इस विवरण के अतिरिक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ अथवा उसकी ओर से अन्य किसी भी संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन/गाइडेन्स हेतु किसी प्रकार का कोई प्रकाशन नहीं किया गया है। यदि कोई संस्थान परिषद के नाम का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
07. संस्थाओं से सम्बन्धित विस्तृत विवरण सम्बन्धित संस्थाओं की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
08. प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/निजी क्षेत्र की संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का विवरण, कोड, पाठ्यक्रम ग्रुप, प्रवेश क्षमता परिषद की वेबसाइट <https://jeecup.nic.in> एवं www.jeecup.org पर उपलब्ध है। वास्तविक प्रवेश क्षमता तथा संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का विवरण शासन द्वारा निर्गत शासनादेश/प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार होगा।
09. पाठ्यक्रम एवं सीटों की संख्या शासन के निर्णय के अनुसार परिवर्तित हो सकती है।
10. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2020 के सम्बन्ध में समस्त सूचनायें परिषद की वेबसाइट के माध्यम से निर्गत की जायेंगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न सूचनाओं/निर्देशों हेतु परिषद की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।
11. संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित एवं काउन्सिलिंग द्वारा सीट आवंटन होने के पश्चात संस्था में प्रवेश हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद/ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करना आवश्यक होगा।
12. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में प्रवेश परीक्षा को निरस्त करने अथवा उसे पुनः कराने का अधिकार रहेगा।

उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक) – 2020

1. प्रस्तावना :

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/निजी क्षेत्र की संस्थाओं में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा उ0प्र0 (पालीटेक्निक)-2020 का आयोजन "संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ" के तत्वावधान में होगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से सम्बद्ध संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यताक्रम सूची तैयार की जायेगी एवं आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये काउन्सिलिंग के द्वारा संस्था एवं पाठ्यक्रम का आवंटन किया जायेगा। काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में प्रक्रिया एवं विस्तृत निर्देश परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात समाचार-पत्रों एवं परिषद की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किये जायेंगे। प्रवेश प्रक्रिया एवं काउन्सिलिंग से प्रवेश, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 से निर्गत यथा संशोधित शासनादेशों के अधीन होगी।

2. पाठ्यक्रम :

उ0प्र0 में चल रहे कुल 150 राजकीय, 19 अनुदानित एवं 1127 निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं के नाम तथा कोड संख्या, विभिन्न पाठ्यक्रम ग्रुपों के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय पाली में चल रहे 66 पाठ्यक्रमों के नाम एवं पाठ्यक्रमवार उपलब्ध सीटों का विवरण परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु उक्त संस्था/पाठ्यक्रम अनन्तिम नहीं है, संस्था/पाठ्यक्रमों की संख्या में ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की मान्यता/सम्बद्धता के अनुसार परिवर्तन सम्भावित है।

3. प्रवेश वरीयता :

(1) जिन्होंने प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से उत्तीर्ण अथवा वे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उ0प्र0 के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, किन्तु जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों अथवा केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की संतान, जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में हो। वे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की है, किन्तु जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों, द्वारा प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश के जनपद, जिसमें अभ्यर्थी के माता-पिता मूल/स्थायी निवासरत हैं, के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रारूप प्रमाण-पत्र संख्या-7 पर प्रस्तुत करना होगा।

उत्तर प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य करने के लिए उ0प्र0 के वर्तमान जनपद, जिसमें अभ्यर्थी निवासरत है, के जिलाधिकारी से निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र संख्या-6 प्रस्तुत करना होगा।

(2) उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिये जाने पर विचार किया जायेगा। यदि कोई विदेशी छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु उसके देश द्वारा नामित/संस्तुत होना तथा केन्द्र सरकार द्वारा उसके प्रवेश हेतु नामित/संस्तुत/सहमत होना आवश्यक है। वर्ष-2020 में अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, परन्तु चयनित होने की स्थिति में प्रवेश के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन-पत्र में निर्धारित स्थान पर इसका उल्लेख करें।

4. प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, प्रवेश परीक्षा के विषय तथा परीक्षा में प्रश्नों का प्रतिशत :

निम्न सारिणी में दिये गये पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के अन्तर्गत होगी। कृपया सारिणी-1,

2 का भली-भाँति अध्ययन कर सुनिश्चित कर लें कि वह जिस पाठ्यक्रम ग्रुप में आवेदन करना चाहते हैं, उससे सम्बन्धित निर्धारित अर्हता एवं अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं :-

सारिणी-1

पाठ्य-ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	प्रवेश परीक्षा में परीक्षा विषय तथा प्रश्नों का प्रतिशत
A	डिप्लोमा इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम	तीन वर्षीय	10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण।	खण्ड-एक-गणित-50% खण्ड-दो-भौतिक तथा रसायन-50%
B	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	तीन वर्षीय	10वीं कक्षा कृषि के साथ न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण। (हाईस्कूल परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण न होकर यदि इण्टरमीडिएट परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण है तो भी अभ्यर्थी ग्रुप हेतु पात्र होगा)	खण्ड-एक-गणित-50% खण्ड-दो-भौतिक विज्ञान तथा रसायन तथा कृषि-50%
C	1. फैशन डिजाइनिंग एण्ड गारमेन्ट टेक्नोलॉजी	तीन वर्षीय	10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण।	अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्प्रेहेन्सन-20% रीजनिंग एण्ड इन्टेलीजेन्सी-50% जनरल अवेयरनेस-30%
	2. होम साइंस	दो वर्षीय	तदैव	
	3. टेक्सटाइल डिजाइन	तीन वर्षीय	तदैव	
	4. टेक्सटाइल डिजाइन (प्रिंटिंग)	तीन वर्षीय	तदैव	
D	1. माडर्न आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	दो वर्षीय	इन्टरमीडिएट या उसके समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषयों का होना अनिवार्य है।)	अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्प्रेहेन्सन-30% रीजनिंग एण्ड इन्टेलीजेन्सी -35% न्यूमेरिकल एबिलिटी-10% जनरल अवेयरनेस-25%
	2. लाइब्रेरी एण्ड इनफार्मेशन साइंस	दो वर्षीय	10+2 / इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण	
E	डिप्लोमा इन फार्मसी	दो वर्षीय	इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा भौतिकी और रसायन अनिवार्य के साथ गणित / जीव विज्ञान (वनस्पति और जन्तु विज्ञान) विषयों में उत्तीर्ण।	खण्ड-एक-फिजिक्स, केमेस्ट्री-50% खण्ड-दो-बायोलोजी या गणित-50%
F	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी (टिशू कल्चर)	एक वर्षीय	बी.एस.सी., बायोलोजी, केमेस्ट्री / बायोकेमेस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण।	1. रसायन शास्त्र-50% 2. जन्तु विज्ञान-25% 3. वनस्पति शास्त्र-25%
G	1. पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	दो वर्षीय	स्नातक उपाधि	अंग्रेजी कम्प्रेहेन्सन - 20% न्यूमेरिकल एबिलिटी -15% रीजनिंग - 30% जनरल इन्टेलीजेन्सी -20% जनरल अवेयरनेस - 15%
	2. पी.जी. डिप्लोमा इन मार्केटिंग एण्ड सेल्स मैनेजमेंट	एक वर्षीय	-तदैव-	
	3. पी.जी. डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट	एक वर्षीय	-तदैव-	
	4. पी.जी. डिप्लोमा इन ब्यूटी एण्ड हेल्थ केयर	एक वर्षीय	-तदैव-	
	5. पी.जी. डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट	एक वर्षीय	-तदैव-	
	6. पी.जी. डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन	एक वर्षीय	-तदैव-	
	7. पी.जी. डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन	एक वर्षीय	-तदैव-	

	8. पी.जी. डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी	एक वर्षीय	-तदैव-	
	9. पी.जी. डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन	दो वर्षीय	-तदैव-	
	10. पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग	एक वर्षीय	-तदैव-	
	11. पी.जी. डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग	एक वर्षीय	-तदैव-	
	12. पी.जी. डिप्लोमा इन एकाउण्टेंसी (विद कम्प्यूटराईज्ड एकाउन्ट एण्ड टैक्सेशन)	एक वर्षीय	-तदैव-	
	13. पी.जी. डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेन्ट	एक वर्षीय	-तदैव-	
H	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नॉलोजी	तीन वर्षीय	12वीं कक्षा न्यूनतम् 35% अंक के साथ उत्तीर्ण।	रीजनिंग एण्ड लाजिकल डिस्कशन - 25% न्यूमेरिकल एबिलिटी एण्ड साइंटिफिक एप्टीच्यूड - 25% अंग्रेजी - 25% सामान्य ज्ञान - 25%
I	1. डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियरिंग	तीन वर्षीय	10+2/इन्टरमीडिएट भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष तथा भौतिक, रसायन एवं गणित में 50% (एग्रीगेट) अंक अनिवार्य। (ग्रुप-I हेतु किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता वाले अभ्यर्थी अपात्र होंगे)	खण्ड-एक-फिजिक्स, केमेस्ट्री - 50% खण्ड-दो-गणित - 50%
	2. डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजी0 (एवियोनिक्स)	तीन वर्षीय		
	3. एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजी0 (हेलीकाप्टर एण्ड पावरप्लान्ट्स)	तीन वर्षीय		
K	डिप्लोमा इंजी0 पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश (लेटरल इंट्री)	दो वर्षीय	इन्टरमीडिएट विज्ञान अथवा इन्टरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक/प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ दो वर्षीय आई0टी0आई0 उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ उत्तीर्ण	खण्ड-एक : हाईस्कूल स्तर की गणित, भौतिकी एवं रसायन - 40% खण्ड-दो : इंजीनियरिंग - 60% (सिविल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/मैकेनिकल/आई.टी./प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी/फैशन डिजाइन एण्ड गारमेन्ट टेक्नोलॉजी/टैक्सटाइल टेक्नोलॉजी में प्रत्येक से सम्बन्धित 60 प्रश्नों के आठ अलग अलग उपखण्डों में से आई0टी0आई0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी ट्रेड से सम्बन्धित उपखण्ड तथा अन्य अभ्यर्थी किसी एक उपखण्ड को हल करेंगे। (देखें सारिणी-2)

ग्रुप-K (लेटरल इंट्री) में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, अवधि एवं प्रवेश अहर्ता

डिप्लोमा के तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु ग्रुप-K (लेटरल इंट्री) के आवेदनकर्ता कृपया निम्न सारिणी का भली-भाँति अध्ययन कर सुनिश्चित कर लें कि वह जिस पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं, उससे सम्बन्धित निर्धारित प्रवेश अहर्ता एवं अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं :-

सारिणी-2

क्र० सं०	डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम	प्रवेश अहर्ता	लेटरल इंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के
		हाईस्कूल के साथ निम्नांकित आई0टी0आई0 ट्रेड उत्तीर्ण अथवा	

		इण्टरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक / प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा इण्टरमीडिएट विज्ञान उत्तीर्ण	प्रथम वर्ष के विषय जिन्हें उत्तीर्ण करना अनिवार्य है
1	2	3	4
(1)	1. सिविल इंजी० 2. सिविल इंजी० (इनवायरमेन्ट एण्ड पोलूशन कन्ट्रोल) ग्रुप-K1	1. सी०ओ०ई० (कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड बुड वर्किंग सेक्टर) 2. ड्राफ्टस्मैन (सिविल) 3. पेन्टर (जनरल) (कक्षा-10 उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे)	(i) फाउण्डेशनल कम्युनिकेशन (ii) एप्लाइड मैथ्स- I ए (iii) एप्लाइड मैथ्स- I बी (iv) एप्लाइड फिजिक्स- I (v) एप्लाइड केमेस्ट्री (vi) एप्लाइड फिजिक्स- II
(2)	1. इलेक्ट्रिकल इंजी० 2. इलेक्ट्रिकल इंजी० (इण्डस्ट्रियल कन्ट्रोल) 3. इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजी० ग्रुप-K2	1. इलेक्ट्रीशियन 2. इलेक्ट्रोप्लेटर 3. वायरमैन (कक्षा-10 उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे) 4. इलेक्ट्रीशियन (पावर डिस्ट्रीब्यूशन) 5. सी०ओ०ई० (इलेक्ट्रिकल सेक्टर)	(i) फाउण्डेशनल कम्युनिकेशन (ii) एप्लाइड मैथ्स- I ए (iii) एप्लाइड मैथ्स- I बी (iv) एप्लाइड फिजिक्स- I (v) एप्लाइड केमेस्ट्री (vi) एप्लाइड फिजिक्स- II
(3)	1. इलेक्ट्रानिक्स इंजी० 2. इलेक्ट्रानिक्स इंजी० (माडर्न कन्ज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स एप्लाइन्सेज) 3. इलेक्ट्रानिक्स इंजी० (माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स) 4. इलेक्ट्रानिक्स इंजी० (एडवान्स माइक्रो प्रोसेसर एण्ड इन्टरफेस) ग्रुप-K3	1. इलेक्ट्रानिक मैकेनिक 2. टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम 3. रेडियो/टीवी मैकेनिक 4. मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लॉयंसिस् (पूर्व नाम मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स) 5. मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स 6. इन्स्ट्रुमेंट मैकेनिक 7. रेडियोलॉजी टेक्नीशियन 8. सी०ओ०ई० (इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर) 9. मैकेनिक कम ऑपरटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स	(i) फाउण्डेशनल कम्युनिकेशन (ii) एप्लाइड मैथ्स- I ए (iii) एप्लाइड मैथ्स- I बी (iv) एप्लाइड फिजिक्स- I (v) एप्लाइड केमेस्ट्री (vi) एप्लाइड फिजिक्स- II
(4)	1. मैकेनिकल इंजी० (ऑटोमोबाइल) 2. मैकेनिकल इंजी० (प्रोडक्शन) 3. मैकेनिकल इंजी० (मेन्टीनेंस) 4. मैकेनिकल इंजी० (रेफ्रिजरेशन एण्ड एयरकन्डीशनिंग) 5. मैकेनिकल इंजी० (कम्प्यूटर एडेड डिजाइन) ग्रुप-K4	1. फिटर 2. मशीनिस्ट 3. मशीनिस्ट (ग्राइण्डर) 4. टर्नर 5. मैकेनिक (मोटर व्हीकल) 6. मैकेनिक रेफरीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग 7. मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी 8. ड्राफ्टस्मैन (मैकेनिकल) 9. टूल एण्ड डाई मेकर (डाईस् एण्ड मोल्डस्) 10. टूल एण्ड डाई मेकर (प्रेस टूल्स्, जिगस् एण्ड फिक्चर्स) 11. मैकेनिक मशीन टूल्स् मेंटीनेंस 12. लिफ्ट एण्ड एस्केलेटर मैकेनिक 13. सी०ओ०ई० (प्रोडक्शन एण्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर) 14. सी०ओ०ई० (ऑटोमोबाइल सेक्टर) 15. सी०ओ०ई० (फैबरीकेशन-फिटिंग एण्ड वेल्डिंग सेक्टर) 16. सी०ओ०ई० (आर०ए०सी० सेक्टर)	(i) फाउण्डेशनल कम्युनिकेशन (ii) एप्लाइड मैथ्स- I ए (iii) एप्लाइड मैथ्स- I बी (iv) एप्लाइड फिजिक्स- I (v) एप्लाइड केमेस्ट्री (vi) एप्लाइड फिजिक्स- II
(5)	1. इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी 2. कम्प्यूटर साइंस एण्ड	1. इन्फार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेन्टीनेंस	(i) प्रोफेशनल कम्युनिकेशन (ii) एप्लाइड मैथ्स- I ए

	इंजीनियरिंग गुप-K5	(पूर्व नाम इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेन्टीनेन्स) 2. इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी 3. सीओआईओ (आईटीओ सेक्टर)	(iii) एप्लाइड मैथ्स-। बी (iv) एप्लाइड फिजिक्स-। (v) एप्लाइड केमेस्ट्री (vi) एप्लाइड फिजिक्स-।।
(6)	प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी गुप-K6	---	(i) प्रोफेशनल कम्युनिकेशन (ii) एप्लाइड मैथ्स-। (iii) एप्लाइड फिजिक्स (iv) एप्लाइड केमेस्ट्री
(7)	फैशन डिजाइन एण्ड गारमेन्ट टेक्नोलॉजी गुप-K7	---	(i) प्रोफेशनल कम्युनिकेशन (ii) फैशन डिजाइन कन्सेप्ट (iii) कम्प्यूटर प्रिन्सिपल्स एंड एप्लीकेशन्स
(8)	1. टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी गुप-K8	1. वीविंग टेक्नीशियन 2. टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन	(i) फाउण्डेशनल कम्युनिकेशन (ii) एप्लाइड मैथ्स-। ए (iii) एप्लाइड मैथ्स-। बी (iv) एप्लाइड फिजिक्स-। (v) एप्लाइड केमेस्ट्री (vi) एप्लाइड फिजिक्स-।।

नोट : कालम-4 में अंकित प्रथम वर्ष के विषयों को उत्तीर्ण करने हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि के अतिरिक्त और दो वर्ष का नियमानुसार विशेष अवसर प्राप्त होगा, जिन्हें उत्तीर्ण करने पर ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा डिप्लोमा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। उक्त विषयों के प्राप्तांक, परीक्षार्थी के कुल प्राप्तांकों को प्रभावित नहीं करेंगे। उपरोक्त विवरण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित शासनादेश के अनुरूप परिवर्तित होगा।

गुप-K (लेटरल इन्ट्री) की प्रवेश क्षमता :

लेटरल इन्ट्री हेतु उपरोक्त सारिणी के कालम-2 की प्रवेश क्षमता राजकीय, अनुदानित व निजी क्षेत्र की संस्थाओं में चल रहे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत है। सीटों का पूर्ण विवरण परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5. (1) आयु :

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा 01 जुलाई, 2020 को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात् वर्ष-2020 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01.07.2006 अथवा इसके पूर्व की होनी चाहिए।

(2) स्वास्थ्य :

प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रमावार मानकों को पूर्ण करना होगा।

- (1) प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए एवं उसके शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण वह प्रोफेशन का कार्य दक्षता से सम्पन्न न कर सके। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश लेने से पूर्व चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (2) प्रत्येक नेत्र बिना चश्मे या चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किये जाने पर चिकित्सा मानक से कम नहीं होना चाहिए।

- (3) ग्रुप-1 (एयरनॉटिकल इंजीनियरिंग से सम्बन्धित पाठ्यक्रम) के तीनों पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु अभ्यर्थी को वर्णान्धता (colour blindness) एवं किसी भी शारीरिक अक्षमता से मुक्त होना आवश्यक है। अतः स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रारूप के मुख्य पृष्ठ पर एम0बी0बी0एस0 डाक्टर से फिजिकल फिटनेस का सत्यापन तथा प्रमाण-पत्र प्रारूप के पृष्ठ भाग में Eye sight (colour vision) हेतु एम0बी0बी0एस0 नेत्र सर्जन की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिस पर चिकित्सक की पंजीयन संख्या एवं नाम की मोहर लगी हो।
- (4) डा0 अम्बेडकर इन्स्टी0 फार फिजीकली हैण्डिकैप्ड, कानपुर में माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम में केवल अस्थि विकलांगता से प्रभावित तथा शेष सभी पाठ्यक्रमों में अस्थि अथवा श्रवण विकलांगता से प्रभावित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

(3) विकलांग एवं अक्षम अभ्यर्थियों हेतु विशेष सुविधाएं :

विकलांग अभ्यर्थियों हेतु एक विशिष्ट संस्थान "डा0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नॉलोजी फार हैण्डिकैप्ड, उ0प्र0, कानपुर" में स्थापित है। इस संस्थान में आर्कीटेक्चरल असिस्टेन्टशिप, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग तथा माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इस संस्थान में विकलांग छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रावासीय सुविधा, रु0 250.00 प्रतिमाह की भोज्य वृत्ति तथा संस्था की निःशुल्क यूनीफार्म भी प्रदान की जाती है। इस संस्था में वर्ष 2009-10 से स्ववित्त पोषित योजना के आधार पर 40 प्रवेश क्षमता के साथ इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें राज्य सरकार के निर्देशानुसार रु0 19,000/- प्रतिवर्ष शिक्षण शुल्क लिया जाता है। पात्र अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध सभी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश क्षमता का 3% क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण उपलब्ध है। इन संस्थाओं में विकलांग अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप ही सुविधायें उपलब्ध हैं। उपरोक्त श्रेणी में केवल ऐसे विकलांग अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी अक्षमता 40% अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रमाण-पत्र, जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40% विकलांग है, प्रस्तुत करना होगा। संस्था में छात्रों के प्रवेश के पूर्व पाठ्यक्रम विशेष हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण संस्था स्तर पर नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा।

6. शिक्षण शुल्क :

राजकीय संस्थायें :

राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में सत्र 2010-11 से शासनादेश संख्या-1371/सोलह-प्रा0शि0-3-2010-246(बी)/91 दिनांक 30 अप्रैल, 2010 तथा संशोधन आदेश संख्या-1371(क)/सोलह-प्रा0शि0-3-2010-246(बी)/91 दिनांक 08 जून, 2010 द्वारा शिक्षण शुल्क रु0 8,000/-, छात्र निधि शुल्क रु0 3,870.00, छात्रावास शुल्क रु0 800.00 कुल रु0 12,670.00 प्रतिवर्ष निर्धारित है। जिन संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है उनसे छात्र निधि शुल्क रु0 3,870.00 के स्थान पर केवल रु0 2,370.00 एवं छात्रावास शुल्क रु0 800.00 छोड़ते हुए कुल रु0 10,370.00 लिये जायेंगे। इसमें परीक्षा शुल्क एवं बीमा शुल्क सम्मिलित नहीं है।

अनुदानित संस्थायें :

प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० के अधीन संचालित अनुदानित संस्थाओं में प्रवेश और फीस नियमन समिति, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या : 64/प्र०फी०नि०स०/2018 लखनऊ दिनांक 19 जून, 2018 द्वारा सत्र 2018-19 से 2020-21 तक के लिये रु० 19,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। सत्र 2020-21 हेतु शुल्क सम्बन्धी जानकारी हेतु वेबसाइट www.afrcup2018.in देखें।

निजी क्षेत्र की संस्थायें :

प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रवेश और फीस नियमन समिति, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या : 64/प्र०फी०नि०स०/2018 लखनऊ दिनांक 19 जून, 2018 द्वारा सत्र 2018-19 से 2020-21 तक के लिये तीन वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00, फार्मसी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 45,000.00, डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट पाठ्यक्रम हेतु रु० 30,250.00 तथा होटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम हेतु रु० 31,300.00 प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि दो एवं एक वर्षीय सभी अन्य पाठ्यक्रमों हेतु रु० 22,500.00 शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। सत्र 2020-21 हेतु शुल्क सम्बन्धी जानकारी हेतु वेबसाइट www.afrcup2018.in देखें।

7. आवेदन :

1. उ०प्र० संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2020 हेतु आवेदन-पत्र केवल आनलाइन भरे जायेंगे। अन्य किसी माध्यम से आवेदन सम्भव नहीं होगा।
2. अभ्यर्थी वेबसाइट <https://jeecup.nic.in> पर जाकर आनलाइन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें।
3. आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी को एक मोबाइल नम्बर व ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। कृपया उपरोक्त मोबाइल नम्बर व ईमेल आईडी की निरन्तरता को काउन्सिलिंग की समाप्ति तक सुनिश्चित करें। इस मोबाइल नम्बर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ SMS से भेजी जाती रहेंगी तथा सभी ओटीपी इसी मोबाइल नम्बर पर भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन पासवर्ड भूलने की दशा में भी मोबाइल नम्बर व ईमेल की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थी अपनी ईमेल आईडी को समय-समय पर देखते रहें, जिससे वह महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित न रहे।
4. आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित ग्रुप की अर्हतायें वह पूरी करते हैं। किसी भी दशा में आवेदन-पत्र के लिए जमा किया गया शुल्क न वापस किया जायेगा न ही हस्तान्तरित किया जायेगा।
5. जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अन्तिम तिथि के पूर्व आनलाइन आवेदन-पत्र भरे जायेंगे तथा संगत शुल्क जमा किया गया होगा, ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर निर्धारित तिथियों पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ले जाना अनिवार्य है।
6. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं (वर्ग, उप वर्ग व शैक्षणिक अर्हता) का सत्यापन संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा नहीं किया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की

होगी, काउन्सिलिंग अथवा प्रवेश के समय, दी गई सूचनाओं के सुसंगत * प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी को उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा की दशा में उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी। अतः आवेदन-पत्र में सूचना भरने से पूर्व अभ्यर्थी उनकी सत्यता सुनिश्चित कर लें।

7. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2020 को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अर्थात् वर्ष-2020 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01.07.2006 अथवा इसके पूर्व की होनी चाहिए।

8. आवेदन शुल्क :-

सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग - ₹0 300/- प्रति आवेदन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - ₹0 200/- प्रति आवेदन

उपरोक्त शुल्क नेट बैंकिंग/क्रेडिट/डेबिट कार्ड से आनलाइन जमा किये जा सकते हैं अथवा ई-चालान निकालकर स्टेट बैंक आफ इण्डिया/आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक की किसी भी शाखा में जमा किया सकता है। आनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय बैंक/सेवा प्रदाता द्वारा लिया जाने वाला शुल्क इसमें शामिल नहीं है।

9. उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2020 का आयोजन निम्नानुसार किया जायेगा :-

पाठ्यक्रम गुप	परीक्षा दिवस एवं तिथि	परीक्षा समय एवं पाली
ग्रुप-A (ओ0एम0आर0 आधारित)	26.04.2020 (रविवार)	प्रातः पाली 9.00 से 12.00 तक
ग्रुप-E (ओ0एम0आर0 आधारित)	26.04.2020 (रविवार)	सायं पाली 2.30 से 5.30 तक
ग्रुप-B,C,D,F,G,H,I (कम्प्यूटर आधारित)	27.04.2020 (सोमवार)	प्रातः पाली 9.00 से 12.00 तक
ग्रुप-K1 to K8 (कम्प्यूटर आधारित)	27.04.2020 (सोमवार)	सायं पाली 2.30 से 5.30 तक

अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार Group-A, E1 – E2 हेतु दिनांक 26.04.2020 को होने वाली परीक्षाओं की दोनों पालियों में आवेदन कर सकता है तथा दिनांक 27.04.2020 को होने वाली कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं में से केवल एक आवेदन कर सकता है, अर्थात् अभ्यर्थी अधिकतम तीन आवेदन ही कर सकता है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदन प्राप्त होने की दशा में उसके एक से ज्यादा/समस्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

10. आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्मतिथि उनके हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अभिलेखों के अनुसार होना आवश्यक है।

11. किसी भी दशा में आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं में परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। अभ्यर्थियों को कुछ सूचनाओं को सही/परिवर्तित करने का एक मौका दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह वेबसाइट व समाचार-पत्र में समय-समय पर जारी निर्देशों से अवगत होते रहें।

12. अभ्यर्थियों को भरे गये आवेदन-पत्र, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह भरे गये आवेदन-पत्र की हार्ड कापी अपने पास भविष्य हेतु सुरक्षित रख लें।

13. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2020 के पत्राचार का पता निम्नवत् है:-

सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0,

1, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, बाँसमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ, पिन-226001

14. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद कार्यालय में परीक्षा सम्बन्धी सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निम्न फोन नम्बर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं :- 0522-2630106, 2630667, 2630678, 2630695, 2636589 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा ईमेल jeecuphelp@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं।

8. आरक्षण :

काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने तक सीटों की संख्या तथा आरक्षण शासनादेश के अधीन परिवर्तनीय है।

1. प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित व निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं (विशिष्ट संस्थाओं को छोड़कर) में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु आरक्षण नवीनतम शासनादेश के अधीन निम्नवत् सूचनीय है:-

क्र०सं०जिनके लिए आरक्षित हैं

आरक्षित स्थान

- | | |
|--|---|
| (1) अनुसूचित जाति (S.C.) के अभ्यर्थियों के लिए | प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 21% |
| (2) अनुसूचित जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थियों के लिए | प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 2% |
| (3) अन्य पिछड़े वर्ग (O.B.C.) के अभ्यर्थियों के लिए | प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 27% |
| (4) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए | प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 10% |
2. उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मुख विवरणानुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण प्रदान किया जायेगा एवं क्षैतिज आरक्षणों में मात्र एक आरक्षण ही अभ्यर्थी ले सकेगा।
- | | |
|--|--|
| (1) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों (F.F.) के आश्रितों के लिए | प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार, समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2% |
| (2) उ०प्र० के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उ०प्र० में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को। (M.P.) | प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार, समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5% |
| (3) शारीरिक रूप से विकलांग (P.H.) अभ्यर्थियों के लिए | प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार, समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5% |
| (4) महिला अभ्यर्थियों के लिए | प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार, समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20% |

नोट :

- संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक) के माध्यम से प्रवेश देने वाली संस्थाओं में अभ्यर्थियों को सीटों का आरक्षण शासन में सुसंगत शासनादेश के अधीन होगा, जो शासन द्वारा परिवर्तनीय है।
- यदि कोई अभ्यर्थी प्रोविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग होने का प्रमाण पत्र परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य असत्य पाया जाता है तो उसे किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता/चयन निरस्त माना जायेगा। आवेदन-पत्र में अभिलिखित श्रेणी एवं उप श्रेणी में किसी प्रकार का परिवर्तन का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
- यदि प्रवेश हेतु सम्बन्धित शैक्षिक सत्र में घोषित अन्तिम तिथि तक विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो शासन द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. विमुक्त जातियों को प्रवेश हेतु आरक्षण मान्य नहीं है तथा अनुसूचित जनजाति के रूप में उनका दावा मान्य नहीं है।

9. अति महत्वपूर्ण निर्देश :

(1) प्रवेश-पत्र :

अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र परीक्षा तिथि के दस दिन पूर्व परिषद की <https://jeecup.nic.in> से डाउनलोड कर परीक्षा में बैठेगा। प्रवेश-पत्र को संस्था में प्रवेश लिये जाने तक सुरक्षित रखें एवं प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। कृपया प्रवेश-पत्र पर दिये गये निर्देशों का भी भली-भाँति अध्ययन कर लें। यदि प्रवेश-पत्र पर अभ्यर्थी की फोटो अस्पष्ट/त्रुटिपूर्ण/अनुपलब्ध है तो तीन फोटो के साथ परीक्षा हेतु निर्धारित केन्द्र पर उपस्थित हो।

(2) प्रवेश परीक्षा केन्द्र :

अभ्यर्थी को तीन परीक्षा जनपद चुनने का विकल्प उपलब्ध होगा। परीक्षार्थी उन तीन जनपदों के नाम वरीयताक्रम में चुनें जहाँ से वे परीक्षा देना चाहते हैं। पाठ्यक्रम ग्रुप-A, E हेतु परीक्षा केन्द्र सामान्यतया जिला- मुख्यालयों/शहरों में होंगे। पाठ्यक्रम ग्रुप-B, C, D, F, G, H, I, K हेतु परीक्षा केन्द्र सामान्यतया बड़े शहरों में होंगे। परिषद को यह अधिकार होगा कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा देने हेतु प्रदेश के जनपदों में कोई भी जनपद/परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परिषद द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

यदि कोई अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम ग्रुप कोड-A, E तथा अन्य (ग्रुप-B, C, D, F, G, H, I तथा K) के पाठ्यक्रमों की परीक्षा में बैठने हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखता है तो अभ्यर्थी तीनों समूहों हेतु समान/निकटस्थ परीक्षा जनपदों का चयन करें, जिससे परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने में अधिक समय न लगे, अन्यथा अलग-अलग समूहों हेतु यदि अलग-अलग परीक्षा केन्द्र आवंटित होते हैं तो परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इस हेतु परिषद किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा।

(3) परीक्षार्थियों के लिए निर्देश—

(अ) आफलाइन परीक्षा : आफलाइन परीक्षा (पाठ्यक्रम ग्रुप-A, E) ओ0एम0आर0 उत्तर चार्ट के माध्यम से सम्पादित करायी जायेगी, ओ0एम0आर0 चार्ट की तीन प्रतियाँ होंगी। मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति परिनिरीक्षक द्वारा जमा की जायेगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेगा। परीक्षार्थी को आवंटित प्रश्न पुस्तिका भी वह अपने साथ ले जा सकेगा।

(1) समय—परीक्षार्थी को परीक्षा आरम्भ होने के एक घण्टा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँच जाना चाहिये तथा परीक्षा केन्द्र पर लगे सीटिंग प्लान में अपना निर्धारित कक्ष देखकर परीक्षा कक्ष में पहुँचना चाहिये। इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिये।

(2) लेखन सामग्री—परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी केवल काले/नीले बाल पेन के अतिरिक्त ऐसी कोई सामग्री न लाये जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा में सहायक हो सके, ऐसी

सामग्री का अभ्यर्थी के पास पाया जाना अनुचित साधन माना जायेगा। लॉग टेबिल, इलेक्ट्रॉनिक्स कलकूलेटर/मोबाइल यंत्र परीक्षा कक्ष में लाना पूर्णतः वर्जित है। काले/नीले बाल पेन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के पेन/पेन्सिल का प्रयोग न करें।

- (3) **प्रवेश-पत्र**—परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश-पत्र अवश्य लायें, जिसे परीक्षा कक्ष में परिनिरीक्षक, केन्द्र अधीक्षक व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अवश्य प्रस्तुत करें। बिना प्रवेश-पत्र परीक्षा कक्ष में जाने से वंचित कर दिया जायेगा।
- (4) **उत्तर चार्ट** :— परीक्षार्थी उत्तर चार्ट को भरने में पूर्ण सावधानी बरते। उत्तर चार्ट में सभी वांछित प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से भरनी आवश्यक है। प्रविष्टियाँ अपूर्ण या अस्पष्ट होने से मूल्यांकन न होने पर होने वाली हानि का पूर्ण उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का होगा। परीक्षा कक्ष में परिनिरीक्षक द्वारा दिया गया उत्तर चार्ट कम्प्यूटर के प्रयोगार्थ है अतः सभी प्रविष्टियों को अंग्रेजी में ही भरना अनिवार्य है। अंकों हेतु विश्वमान्य संख्याओं (Universal Numerals-1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि) का ही प्रयोग किया जाय। अभ्यर्थियों के पूर्वाभ्यास हेतु उत्तर चार्ट की एक नमूना प्रति संलग्न है।

(ब) आनलाइन परीक्षा : पाठ्यक्रम गुप-B,C,D,F,G,H,I तथा K की परीक्षा आनलाइन कम्प्यूटर के माध्यम से सम्पादित करायी जायेगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में क्रमिक रूप से प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्नों का सही विकल्प चुनेंगे। ऐसे प्रश्न जिन्हें बाद में/पुनः हल करना हो, उन्हें चिन्हित करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। परीक्षा के 15 दिन पूर्व से ही मॉक टेस्ट की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, ताकि अभ्यर्थी आनलाइन परीक्षा से भली-भाँति अवगत हो सके।

- (1) **समय**—परीक्षार्थी को परीक्षा आरम्भ होने के दो घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंच जाना चाहिये तथा परीक्षा केन्द्र पर लगे सीटिंग प्लान में अपना निर्धारित कक्ष देखकर परीक्षा कक्ष में शीघ्र पहुंचना चाहिये तथा अपने अनुक्रमांक हेतु निर्धारित कम्प्यूटर पर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन की कार्यवाही ससमय पूर्ण कर लेनी चाहिए।
- (2) **लेखन सामग्री**—परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी केवल काले/नीले बाल पेन के अतिरिक्त ऐसी कोई सामग्री न लाये जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा में सहायक हो सके, ऐसी सामग्री का अभ्यर्थी के पास पाया जाना अनुचित साधन माना जायेगा। लॉग टेबिल, इलेक्ट्रॉनिक्स कलकूलेटर/मोबाइल यंत्र परीक्षा कक्ष में लाना पूर्णतः वर्जित है।
- (3) **प्रवेश-पत्र**—परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश-पत्र अवश्य लायें, जिसे परीक्षा कक्ष में परिनिरीक्षक, केन्द्र अधीक्षक व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अवश्य प्रस्तुत करें। बिना प्रवेश-पत्र परीक्षा कक्ष में जाने से वंचित कर दिया जायेगा।

(4) मूल्यांकन एवं निगेटिव मार्किंग:—

- (1) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के कुल 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 04 अंक दिये जायेंगे।
- (2) उत्तर के चारों विकल्पों में केवल एक उत्तर (विकल्प) सही होगा।
- (3) प्रत्येक गलत उत्तर पर एक निगेटिव अंक दिया जायेगा।

- (4) किसी भी प्रश्न का उत्तर न देने अथवा एक से अधिक विकल्प चयनित करने पर निगेटिव अंक नहीं दिये जायेंगे।
- (5) **प्रश्न, उत्तर कुंजी एवं अभ्यर्थी द्वारा चुने गये विकल्पों पर आपत्तियाँ प्राप्त करना :**
परीक्षाफल एवं योग्यताक्रम सूची जारी होने से पूर्व अभ्यर्थियों से प्रश्न, उत्तर कुंजी एवं अभ्यर्थी द्वारा चुने गये विकल्पों पर पोर्टल के माध्यम से आपत्तियाँ प्राप्त की जायेंगी। इस हेतु अभ्यर्थी को ₹0 100/- जमा करते हुए त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों/चुने गये विकल्पों में भिन्नता हेतु आपत्तियाँ दर्ज करायी जायेगी। अभ्यर्थी का दावा सही पाये जाने पर ₹0 100/- उसे वापस करते हुए त्रुटि का सुधार कर दिया जायेगा। दावा गलत पाये जाने की दशा में ₹0 100/- जब्त कर लिये जायेंगे।
- (6) **प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल :**
संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल घोषित होने की सूचना समाचार-पत्र/पत्रों के माध्यम से भी प्रसारित की जायेगी। परीक्षाफल परिषद की वेबसाइट jeecup.nic.in पर उपलब्ध होगा। दिनांक 26.04.2020 एवं 27.04.2020 को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा का परिणाम 21.05.2020 को जारी किया जायेगा।
- (7) **योग्यताक्रम सूची :**
प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध पालीटेक्निकों में चल रहे पाठ्यक्रमों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 के माध्यम से प्रवेश पाने के लिए सभी अभ्यर्थियों को परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम सूची तैयार की जायेगी।
- (8) **सीट आवंटन हेतु काउन्सिलिंग :**
प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम एवं संस्था का आवंटन सीटों की उपलब्धता, अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प एवं योग्यताक्रम आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जायेगा। परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त परिषद द्वारा काउन्सिलिंग के विस्तृत नियम, तिथि, समय, स्थान, प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश समाचार पत्रों एवं परिषद की वेबसाइट पर दिये जायेंगे। अन्तिम रूप से सीट आवंटित हो जाने पर पाठ्यक्रम अथवा संस्था में कोई परिवर्तन सम्भव न होगा। तीन चरणों की आनलाइन काउन्सिलिंग दिनांक 02.06.2020 से प्ररम्भ होगी।

(अ) प्रक्रिया :

- (1) आनलाइन काउन्सिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थी को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क ₹0 250/- आनलाइन या चालान के माध्यम से जमा करने होंगे, तभी अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन पूरा माना जायेगा।
- (2) अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के पश्चात संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों को पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से भरा जायेगा। विकल्पों की संख्या असीमित है। प्रत्येक चरण में अर्ह अभ्यर्थी अपने विकल्प परिवर्तित कर सकता है या नये विकल्प जोड़ सकेगा।
- (3) अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये संस्था एवं पाठ्यक्रम के विकल्प के वरीयताक्रम व आरक्षण के अनुरूप सीट आवंटन करते हुए सफल अभ्यर्थियों को उनके लॉगिन पर आवंटन-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) अभ्यर्थी को सीट आवंटन मिलने के पश्चात ₹0 3000/- सिक्योरिटी राशि (Seat Acceptance Fee) के रूप में अपनी लॉगिन से आनलाइन पोर्टल पर जमा करना होगा। जिन

अभ्यर्थियों की सिक्योरिटी राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं होगी, उनका आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। सिक्योरिटी राशि (Seat Acceptance Fee) को अभ्यर्थी के प्रवेशित संस्था को ही भेजा जायेगा। किसी भी दशा में सिक्योरिटी राशि (Seat Acceptance Fee) अभ्यर्थी को वापस नहीं की जायेगी।

अभ्यर्थी को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन आनलाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम, दिये गये विकल्पों, आरक्षण के आधार पर किया जायेगा। सीट आवंटन पांच चरणों में होगा, जिसमें से प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण में सीट आवंटन आनलाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से राजकीय, अनुदानित व निजी संस्थाओं में किया जायेगा। चतुर्थ चरण में राजकीय व अनुदानित संस्थाओं में स्पॉट काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटन किया जायेगा। पांचवे चरण में सीधे प्रवेश के शासनादेश संख्या-2225/सोलह- प्रा0शि0-3-2012, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012, शासनादेश संख्या-1765/सोलह- प्रा0शि0-3-2013-15(58)/2009, दिनांक 08.08. 2013 एवं शासनादेश संख्या-93/2018 /1073/सोलह-3-2018-15(58)/2009, दिनांक 04 जुलाई, 2018 के अन्तर्गत आनलाइन पोर्टल को पुनः खोलते हुए सीधे प्रवेश के लिए अनुदानित व निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं की खाली बची सीटों पर मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर आवंटन किया जायेगा।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित "संयुक्त प्रवेश परीक्षा" में सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों एवं प्रतिबन्धों से आबद्ध होंगे, जो विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं या जिन्हें समय-समय पर परिषद या राज्य सरकार परिवर्तित करें या लागू करें।

अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रथम चरण में ही आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर वांछित सीट प्राप्त कर लें, क्योंकि चरणवार सीटों की उपलब्धता घटती जायेगी। आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी काउन्सिलिंग से एक सप्ताह पहले वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

(9) आवंटित संस्था में प्रवेश—

अभ्यर्थी को अपनी आवंटित संस्था में अपने समस्त मूल अभिलेखों के साथ प्रवेश हेतु निर्धारित तिथियों में स्वयं प्रस्तुत होना होगा। संस्था द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के समस्त मूल अभिलेखों की जाँच, फीस तथा अन्य औपचारिकतायें पूरी की जायेंगी, जिनके सही पाये जाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

(10) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र :

आरक्षण का लाभ अनुमन्य करने हेतु प्रमाण-पत्र संख्या-1 से 8A एवं 8B पर दर्शाये गये प्रमाण-पत्रों को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आवेदन-पत्र में दर्शाये गये आरक्षण वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे, वे उस वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे एवं इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वह आवेदन-पत्र भरते समय आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग के कालम का विशेष ध्यान रखें तथा आरक्षित वर्गों की सीटों हेतु तब ही आवेदन करें, जब वे वांछित प्रमाण-पत्र रखते हों एवं काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत कर सकें। यदि किसी अभ्यर्थी के पास नवीनतम प्रमाण पत्र न हो तो वे आवेदन के समय ही प्रमाण पत्र बनवा कर अपने पास सुरक्षित रख ले जिससे प्रवेश के समय कठिनाई न हो।

नोट : एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों (ग्रुप-1) में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को अपने जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा निर्गत अपनी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

प्रमाण-पत्र संख्या - 1 (O.B.C.)

(कार्मिक अनु0-2 के शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टी.सी.-III-का-2/2014,
दिनांक 17 दिसम्बर, 2014)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री निवासी ग्राम.....
.....तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश
राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक
के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पूर्वोक्त
अधिनियम-1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं
जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन)
अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है) से आच्छादित नहीं है। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की
अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम,
1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम
..... तहसील नगर जिला..... में सामान्यतया
रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर.....
दिनांक : पूरा नाम.....
मुहर : पदनाम.....
..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

प्रमाण-पत्र संख्या - 2 (S.C./S.T.)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....
..... निवासी ग्राम तहसील नगर.....

.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम :.....तहसील.
.....नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

मुहर :

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी

मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/

जिला समाज कल्याण अधिकारी।

प्रमाण-पत्र सं०-3 (F.F.)

(शासनादेश संख्या : 5/2015/18/1/2008-का-2/2015, दिनांक 21 अप्रैल, 2015)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम.....तहसील.
.....नगर.....जिला..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).....पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....के आश्रित हैं।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी (सील)

प्रमाण-पत्र संख्या 4 - (M.P.)

सैनिक आश्रित का प्रमाण-पत्र का प्रारूप

सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों तथा पैरा मिलिट्री फोर्स जिसमें रिजर्व बार्डर सिक्क्यूरिटी फोर्स, सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आसाम राइफल्स, इंडो तिब्बती बार्डर पुलिस सम्मिलित है, के सैनिकों, जो युद्ध या संघर्ष में अक्षत हो गये हैं, अथवा मारे गये हैं, के पुत्र एवं पुत्रियों द्वारा देय प्रमाण-पत्र जो कि सेवारत/भूतपूर्व सैनिक के उस यूनिट के आफिसर कमांडिंग के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिस यूनिट में वह कार्यरत हो अथवा सबसे अन्त में रहा हो अथवा पैरा मिलिट्री फोर्स का सैनिक युद्ध या संघर्ष में अक्षम हो गया हो या मारा गया हो। केवल सेवानिवृत्त सैनिक के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट सोलजर्स बोर्ड के सचिव द्वारा भी प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....(अभ्यर्थी का पूरा नाम) सेवारत/भूतपूर्व सैनिक/पैरा मिलिट्री फोर्स का संघर्ष या युद्ध में अक्षम या मारे गये सैनिक श्री.....के पुत्र/पुत्री हैं। श्री.....(सैनिक का नाम) यूनिट में.....पद पर दिनांक.....से.....तक कार्यरत थे/हैं। पैरा मिलिट्री.....की यूनिट में संघर्ष या युद्ध में अक्षम रहे या मारे गये हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....
तिथि.....

ओ.सी. के हस्ताक्षर.....
पद.....
सील

प्रमाण-पत्र संख्या- 5

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की सन्तान का प्रमाण-पत्र का प्रारूप

- नोट :-1. केवल उन अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर से हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जिनके पिता उत्तर प्रदेश के किसी केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत हों।
2. यह प्रमाण-पत्र केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष (हेड आफ दि आफिस) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।
- प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....(अभ्यर्थी का पूरा नाम) के पिता श्री.....केन्द्रीय सरकार के कार्यालय.....में.....पद पर कार्यरत हैं। यह कार्यालय उत्तर प्रदेश के.....जनपद में स्थित है।

दिनांक:
स्थान:

हस्ताक्षर
नाम.....
पदनाम.....
कार्यालय का नाम तथा पूरा पता

प्रमाण-पत्र संख्या- 6

उत्तर प्रदेश से बाहर के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के प्रवासी उम्मीदवार द्वारा पेश किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री.....
निवासी गांव/शहर.....जिला/मण्डल.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....
की.....जाति/जनजाति का/की है, जो संविधान के आदेश के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित की गई है।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.....को उसके पिता/माता श्री/श्रीमती.....निवासी.....
गांव/शहर.....जिला/मण्डल.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....
में दिये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया है और.....
जाति/जनजाति के हैं जिसे.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।

(निर्धारित पदाधिकारी का नाम).....द्वारा आपके पत्र या.....दिनांक.....
के अन्तर्गत जारी किया गया है।

स्थान :
राज्य/संघ शासित क्षेत्र :
दिनांक :
कृपया राष्ट्रपति के सम्बन्धित आदेश का उल्लेख करें।

हस्ताक्षर :
पद
मुहर

कार्यालय जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी जनपद

सामान्य निवास प्रमाण-पत्र
(केवल सेवायोजन/शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ)

कार्यालय उपजिलाधिकारी जनपद
तहसीलदार श्री की आख्या दिनांक के
एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि :-
श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पति श्री
निवासी मकान नम्बर
ग्राम/मोहल्ला
थाना जनपद
उत्तर प्रदेश का/की निवासी है।
व उनका वर्तमान पता है।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा कराई गई सूचना तथा इनसे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने विषयक प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

नोट :- उपर्युक्त प्रमाण-पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई सम्बन्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है, यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह हो अथवा इन पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर

उपजिलाधिकारी

कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II,
दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुसार

प्रमाण-पत्र संख्या - 8A

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या

दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा पोस्ट
 आफिस थाना तहसील जिला
 राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी है,
 जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष
 में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार
 के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है :-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के
 सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट
 साईज का अभिप्रमाणित
 फोटोग्राफ

हस्ताक्षर (कार्यालय की मुहर सहित)
 पूरा नाम
 पदनाम
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
 मजिस्ट्रेट /परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

**कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II,
 दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुसार**

प्रमाण-पत्र संख्या - 88

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा-पत्र
 स्वयं घोषणा -पत्र**

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
 ग्राम/कस्बा पोस्ट आफिस थाना ..
 ब्लॉक तहसील जिला
 राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र
 हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु० (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम)आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है :-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट :- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम

स्थान

दिनांक

कृपया, यहाँ से मोड़ें तथा काटें / PLEASE FOLD AT PERFORATION AND THEN TEAR

OMR ANSWER SHEET

1. अनुक्रमिक (संख्या 4)

2. कोड का कोड

उत्तर-पत्रक संख्या
OMR Answer Sheet No.

571575

3. अनुक्रमिक / Rank no.

1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0

4. प्रश्न पत्रिका संख्या
Question Paper No.

1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0



ANSWERS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

8000 VMI

अध्यक्षी के हस्ताक्षर

परिनिरीक्षक के हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश की पालीटेक्निक संस्थाओं का विवरण

(वर्ष-2019)

संस्थाएं	पुरुष	महिला	कुल संस्थाएं
राजकीय	131	19	150
सहायता प्राप्त	17	02	19
निजी	1125	02	1127
योग-	1273	23	1296

संस्थाओं में ग्रुपवार प्रवेश क्षमता :

क्रमांक	ग्रुप	कुल प्रवेश क्षमता
01.	A	153934
02.	B	303
03.	C	1781
04.	D	2494
05.	E	58758
06.	F	450
07.	G	10784
08.	H	238
09.	I	90
10.	K	11807
योग-		240639

कृपया ध्यान दें

1. आनलाइन आवेदन के समय आवेदन पत्र पर फोटो के लिए निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी अपनी स्पष्ट छवि वाली फोटो अपलोड करें और फोटो की 10 प्रतियाँ काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय उपयोग हेतु सुरक्षित रखें।
2. अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर रनिंग हैण्डराइटिंग में स्पष्ट रूप से करके अपलोड करें। अंग्रेजी के कैपिटल लैटर्स में हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

प्रवेश सम्बन्धी किसी भी विवरण के लिए सम्पर्क करें :-

निकटस्थ राजकीय/अनुदानित संस्था

अथवा

सचिव,

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0,

1, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, बांसमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ 226001

दूरभाष : 0522-2630678, 2630667, 2630106, 2630695, 2636589

Website : <https://jeecup.nic.in>, www.jeecup.org,

Email : jeecuphelp@gmail.com

आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या-3/2019/4/1/ 2002/का-2/19टी.सी.-।।, दिनांक 14 मार्च, 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त श्रेणी के आरक्षण की पात्रता रखते हैं, वे आनलाइन आवेदन के समय चयनित कैटेगरी (वर्ग) "GENERAL EWS" का विकल्प भरेंगे। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आवेदन पत्र भरते समय ही आरक्षण से सम्बन्धित नवीनतम प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से बनवाकर अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि काउन्सिलिंग के समय उसे प्रस्तुत कर सकें।

“GENERAL EWS” आरक्षण श्रेणी की पात्रता हेतु शर्तें

1. अभ्यर्थी ऐसी जाति से सम्बन्धित है जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. विगत वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय ₹ 8.00 लाख (रुपये आठ लाख मात्र) से कम है तथा इनके परिवार के स्वामित्व में कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है :-
 - 5 (पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 - एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
 - अधिसूचित नगर पालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 - अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।



उत्तर प्रदेश
तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के बढ़ते कदम,
नये आयाम एवं रोजगार की नई दिशाएँ

प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश (डिप्लोमा सेक्टर)

रेलवे, पी0डब्लू0डी0, आवास विकास, रियल स्टेट, आटोमोबाइल उद्योग, एन0टी0पी0सी0, बी0एच0ई0एल0, बी0एस0एन0एल0, टेलीकम्युनिकेशन, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर उद्योग, फर्टिलाइजर, पावर हाउसेज, कपड़ा उद्योग, डिजाइन कन्सलटेन्सी, परिधान निर्माण उद्योग, ब्यूटी-हेल्थकेयर के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग में सेवायोजन एवं रोजगार के अलावा उच्च तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अवसर।

बालिका प्रोत्साहन

“सक्षम बालिका-सम्पन्न परिवार योजना”

शैक्षिक सत्र 2015-16 से राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त बालिकाओं को धनराशि रु. 10,000.00 का प्रोत्साहन



डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता हेतु प्रभावी कदम

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, 1, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ – 226001

दूरभाष : 0522-2630667, 2630106, फैक्स : 0522-2630695, 2636589

Website : <https://jeecup.nic.in>, www.jeecup.org